

11/12/2025
कमल
21/9/2025
21/9/2025

राजस्थान सरकार
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गीम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प रथीमारवेडा

आदेश:-

ग्रामी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं प्रतवारी रथीमारवेडा व मू.अ.नि. दिवेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डूंगावाला तहसील गीम व जिला राजसमंद की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाता संख्या 50, 217, 219, 220, 335, 393, 424 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डूंगावाला	50, 217, 219, 220, 335, 393, 424	अणसी देवी, फुन्नीलाल, मोगीलाल, गीशलाल, लखरी देवी, लालुराम, परदी देवी सागलत जाति राणत	अणसी देवी, फुन्नीलाल, मोगीलाल, गीशलाल, लखरी देवी, लालुराम, परदी देवी लमहत जाति कुम्हार

(fhar)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

कैम्प नं :- 125/304

दिनांक :- 09/10/2025

- प्रतिनिधि :-
1. तहसीलदार मीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर बालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. भार्या श्री मीशलाल पिता रौडाराम को सूचनार्थ।
 3. स्थित पत्रावली।

(fhar)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
जिला राजसमन्द